by the Government on various assurances, promises and undertakings given by the Ministers during the various sessions of Third Lok Sabha:—

(i) Supplementary Statement No. III—Fourteenth Session, 1966.

(ii) Supplementary Statement No. V—Thirteenth Session, 1965.

(iii) Supplementary Statement No. VIII—Twelfth Session, 1965.

(iv) Supplementary Statement No. XII—Eleventh Session, 1965.

(v) Supplementary Statement No. XV—Tenth Session, 1964.

(vi) Supplementary Statement No. XVI—Ninth Session, 1964.

(vii) Supplementary Statement No. XXI—Seventh Session, 1964.

[*Placed in Library. See* No. LT-6416/66 to LT-6422/66].

ORDERS UNDER THE DELIMITATION COMMISSION ACT

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): I beg to lay on the Table a copy each of the following Orders under sub-section (3) of section 10 of the Delimitation Commission Act, 1962:—

1. (i) Order No. 15 of the Delimitation Commission determining delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State of Uttar Pradesh published in Notification No. S.O. 1532 in Gazette of India dated the 23rd May, 1966. [*Placed in Library. See* No. LT-6423/66].

(ii) Order No. 5 of the Delimitation Commission determining delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State of Bihar published in Notification No. S.O. 1779 in Gazette of India dated the 9th June, 1966. [*Placed in Libray. See* No. LT-6434/66].

(iii) Order No. 22 of the Delimitation Commission determining delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the Union Territory of Tripura published in Notification No. S.O. 1930 in Gazette of India dated the 22nd June, 1966. [*Placed in Library. See* No. LT-6425/66].

2. A copy of the Explanatory Statement giving reasons for immediate legislation by Advocates (Amendment) Ordinance, 1966, under rule 71(2) of the Rules of procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-6426/66].

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था का प्रश्न सुनिए। (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : अगर एक मेम्बर खड़ा हो, तो मैं सुन सकता हूं और इजाजत दे सकता हूं, लेकिन अगर पच्चीस मेम्बर साहबान एक साथ खड़े हो जायें, तो मैं नहीं सुन सकता हूं। इस तरह में सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। एक सवाल जो एडजर्नमेंट मोशन का था, वह खत्म हुआ (*Interruptions*).

श्री मधु लिमये : खत्म नही हुआ। इस तरह कैसे खत्म हो सकता है ? और आप पायंट आफ आर्डर सुनिए। (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : इस तरह मैं पायंट आफ आर्डर कैसे सुन सकता हूं। (*Interruptions*).

श्री मधु लिमये : आप पायंट आफ आर्डर को सुन कर अपनी बात कहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप कहते हैं कि एडजर्नमेंट मोशन खत्म नहीं हुआ।

श्री मधु लिमये : इस तरह कार्यवाही नही चल सकती है ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय (*Interruptions*).

श्री मधु लिमये : आप ने पहले कहा कि हमारी बातें सुनने के पश्चात् आप निर्णय करेंगे । फिर आप बदल गए ..... । (*Interruptions*).

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) सारा देश आप की तफ देख रहा है। (*Interruptions*). ***

Mr. Speaker: When more than one hon. Member speaks, it should not be recorded. I have said that already. (*Interruptions*).

श्री मधु लिमये : श्री हो० ना० मुखर्जी को सुनने के बाद आप ने यह कहा था कि आप तथ्यों के बारे में विरोधी दल के सदस्यों को सुनने के बाद अपना फैसला देगें । लेकिन जब यहां पर तथ्यों के बारे में कहा जाता है, तो आप कहते हैं कि तथ्यों में नहीं जा सकते । तो आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को लकवा मारा है या नही ....

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

श्री मधु लिमये : वहां का शासन समाप्त हुआ है या नहीं, ...

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

श्री मधु लिमये : य तो तथ्यों की चर्चा कर के ही साबित किया जा सकता है । मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि जब आप ने 15 फरवरी, 1966 को यह एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार किया :

> "The situation arising out of Kerala Bandh and complete collapse of the administration".

तो क्या आप ने उस वक्त तथ्यों के बारे में . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है ।

श्री मधु लिमये : नहीं सुना है । आप हम लोगों को फिर मौका दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सारी बात सुननी चाही थी । मैंने कहा था कि अगर मेम्बर साहेबान चाहते हैं तो बाकी बहस की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मेम्बर साहबान ने कहा कि हम जरूर बहस करेंगे तो मेरे लिए कोई चारा नहीं रह गया ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम लोगों ने कहा था कि आप दूसरे मेम्बरों को सुनने के बाद मेम्बर्ज को चैम्बर में बुलाइये ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, आप कानून और मर्यादा, सब कुछ तोड़ रहें हैं । इस तरह कार्यवाही नहीं चलेगी ।

NAVAL CEREMONIAL CONDITIONS OF SERVICE AND MISCELLANEOUS (AMENDMENT) REGULATIONS, 1966

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): I beg to lay on the Table a copy of the Naval Ceremonial Conditions of Service and Miscellaneous (Amendment) Regulations, 1966, published in Notification No. S.R.O. 5-E in Gazette of India dated the 31st May, 1966, under section 185 of the Navy Act, 1957. [*Placed in Library. See* No. LT-6427/66].

POWERLOOM ENQUIRY COMMITTEE REPORT ETC.

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): I beg to lay on the Table:—

(i) A copy of the Art Silk Textiles (Production and Distribution) Control (Amendment) Order, 1966 published in Notification No. S.O. 633 in Gazette of India dated the

***Not recorded.